संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989

(सं0 आ0 142)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियों, समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, जहां कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. बाल्टी

2. बेडा

3. बोट, बोटो

4. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन

5. चंगपा

6. गर्रा

7. मोन

8. पुरिगपा

[1][9. गूजर

10. बकरवाल]

[2][11. गद्दी

12. सिप्पी]

[1] 1991 के अधिनियम सं0 36 की धारा 2(क) द्वारा (19-4-1991) से) अंतःस्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं0 36 की धारा 2(ख) द्वारा (20-8-1991) से) अंतःस्थापित ।